



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/382

दिनांक: -26/06/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (10) कम्पनियों का नाम **हरियाणा** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA8437239	U46493HR2023OPC112152	एबडेंस वन बिजनेस सॉल्यूशंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
2	AA8508675	U52102HR2023PTC112935	नमो शिवा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
3	AA8604717	U80902HR2018PTC072362	एसवीओडी गुरु (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
4	AA7953912	U70100HR2022PTC103287	एस्टेटमेन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AA8610357	U40106HR2021PTC096800	यूडब्ल्यूई रिन्यू प्राइवेट लिमिटेड
6	AA8170865	U67190HR2021PTC094614	बेस्टिन फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड
7	AA8182822	U74999HR2021PTC095442	स्पीडफीड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
8	AA8020983	U74999HR2021PTC092161	सीजेओएम कम्युनिकेशंस एंड पीआर प्राइवेट लिमिटेड
9	AA8317292	U85190HR2019PTC082677	एमई 2 कार्डियोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
10	AA8403946	U31900HR2019PTC081109	रॉ न्यू एनर्जी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है ।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं ।

हरिहर साहू
रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

CBC 07123/11/0207/2425